न्यायालय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो)–प्रथम/गैंगेस्टर एक्ट, ज्ञानपुर–भदोही

उपस्थित : लोकेश कुमार मिश्रा (एच.जे.एस.)

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–248 सन् 2026

UPSN010007752026

शैलेन्द्र तिवारी उम्र त० 44 साल पुत्र अमरनाथ तिवारी साकिन सी०के० 5/20 भिखारीदासपुर लेन भारतेन्दु भवन थाना चौक, जिला वाराणसी।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या– 497 सन् 2025
धारा– 206, 318(4), 336(3), 340(2),338,61(2)बी०एन०एस० व 8/21(सी), 27 क, 29(1) एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना औराई
जनपद –भदोही

दिनांक– 23.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त शैलेन्द्र तिवारी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–497 सन् 2025 अन्तर्गत धारा–206, 318(4), 336(3), 340(2), 338,61(2)बी०एन०एस० 8/21(सी), 27 क, 29(1) एन.डी.पी.एस.एक्ट थाना– औराई, जिला भदोही, के मामले में जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपने जमानत प्रार्थना–पत्र में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके पूर्व प्रार्थी द्वारा किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में न तो प्रस्तुत किया है और न ही विचाराधीन है। पुलिस थाना औराई द्वारा महज रंजिशन झूठे एवं फर्जी तथ्यों पर मुकदमा उपरोक्त में नामित किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा–206, 318(4), 336(3), 340(2), 338 बी०एन०एस० में पंजीकृत किया गया और बाद में पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में अन्य धारा– 61(2)बी०एन०एस० व एन०डी०पी०एस० एक्ट

की बढ़ोत्तरी की गई और प्रार्थी को उपरोक्त अपराध संख्या में गिरफ्तार किया गया और प्रार्थी जेल में निरुद्ध है। मुकदमा उपरोक्त में घटना का कोई दिनांक व समय अंकित नहीं है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 27.11.2025 को बिला किसी आधार व साक्ष्य के दर्ज करायी गयी है और प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त के रूप में ओमप्रकाश कसेरा फर्म मेसर्स ओ०पी० फार्मा तिउरी महराजगंज औराई जिला भदोही को अभियुक्त बनाया गया है। उपरोक्त तथ्यों से जाहिर होता है कि प्रार्थी का उपरोक्त मामले से कोई सम्बन्ध नहीं था , न है। प्रार्थी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है। वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है, जिसमे फर्म मेसर्स पूर्णा फार्मा द्वारा दिनांक 4.11.2025 से 12.11.2025 तक कोडिनयुक्त सिरप का विक्रय का उल्लेख किया गया है। परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी ने यह अंकित कराया है कि दिनांक 18.11.2025 को फर्म मेसर्स ओ०पी० फार्मा तिउरी महाराजगंज, थाना औराई जिला भदोही पर गया और वह बंद पायी गयी थी। फर्म के प्रोपराइटर ओमप्रकाश कसेरा से कोई सम्पर्क नहीं हुआ और प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 27.11.2025 तक वादी का अभियुक्त ओमप्रकाश कसेरा प्रो० ओ०पी० फार्मा से कोई सम्बन्ध नहीं हुआ। तब किस आधार पर वादी द्वारा फर्म पूर्णा फार्मा से 04.11.2025 से 12.11.2025 तक को कोडिनयुक्त सीरप बेचने का जिक्र किया गया है। इस आधार पर भी मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। फर्म पूर्णा फार्मा के प्रोपराईटर पूजा तिवारी है, जो कि प्रार्थी की पत्नी है। उपरोक्त फर्म का संचालन प्रार्थी नहीं करता है और न ही प्रार्थी द्वारा कभी भी कोडिनयुक्त सीरप को फर्म ओ०पी० फार्मा से भेजा गया है, न ही विक्रय किया गया है, न ही कोई बिजक या बिक्रय विलेख ही प्रार्थी ने तैयार किया है , न ही प्रार्थी ने किसी प्रकार से कोई धन ही अर्जित किया है। उपरोक्त मामले में प्रार्थी का कोई सम्बन्ध नहीं रहा, प्रार्थी को बिला साक्ष्य व सबूत के प्रार्थी को अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी के विरुद्ध आरोपित धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी द्वारा कोई कूटरचित कागजात तैयार नहीं किया गया है और न ही कोई मूल्यांकन प्रतिभू में कोई कूटरचना ही की गई है और और न ही प्रार्थी ने कोई छल कपट किया गया है और न ही प्रार्थी द्वारा कोई आपराधिक षडयंत्र ही किया गया है और न ही प्रार्थी कभी भी फरार रहा है तथा प्रार्थी के विरुद्ध एन०डी०पी०एस० की किसी भी धारा का कोई अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी के पास से प्रार्थी के कब्जा से प्रार्थी की निशानदेही पर कोई भी कागजात व प्रपत्र कोडिनयुक्त सीरप अथवा अन्य कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ और न ही क्रय विक्रय का धन ही कोई बरामद हुआ है, न ही कोई नशायुक्त सामान ही क्रय–विक्रय किया गया है। प्रार्थी का पूर्णा फार्म से सम्बन्ध नहीं है, न ही कोई व्यवसाय किया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बाद में जेल में निरुद्ध होने के पश्चात पुलिस ने चौरी थाना में अपराध संख्या 186/2025 का

अपराध बना दिया है। जैसा कि प्रार्थी की गिरफ्तारी होना कहा गया है , वैसी कोई गिरफ्तारी प्रार्थी की माधो सिंह कथित गिरफ्तारी दिनांक को या उसके काफी अर्सा पूर्व नहीं आया था। पुलिस द्वारा फर्जी गिरफ्तारी दिखायी गयी है। प्रार्थी को पुलिस प्रार्थी के घर से दिनांक 05.02.206 को सायं को पकड़कर ले आयी। पुलिस सादी वर्दी में थी और पुलस की गाड़ी भी नहीं थी, दूसरे गाड़ी में थे और प्रार्थी को थाना में बैठाये रहे। दिनांक 07.02.2026 को प्रार्थी का चालान उपरोक्त झूठे एवं फर्जी मुकदमा में कर दिया। प्रार्थी अपनी जमानत मुचलका देने को तैयार है और जमानत होने पर जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा और न्यायालय जब भी प्रार्थी को तलब करेगी, प्रार्थी बराबर न्यायालय में उपस्थित रहेगा और न्यायालय के हर निर्देशों का पालन करेगा।

3. उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त के द्वारा फर्जी ई–बिल बनाकर अपनी फर्म से कोडीनयुक्त कफ सीरप भेजा गया है और ई–बिल में वाहन फर्जी दर्शाये गये हैं। अभियुक्त के द्वारा नामजद अभियुक्त ओमप्रकाश कसेरा के खाते से लगभग तीन करोड़ रुपये पूर्णा फार्मा जिसके संचालक अभियुक्त स्वयं है, उनके द्वारा प्राप्त किया गया है। अभियुक्त को जमानत दिए जाने पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करेगा और न्यायालय एवं न्यायिक प्रक्रिया से दूर भागेगा। अभियोजन को प्रभावित करेगा । फरार होने की प्रबल संभावना है।

4. उभय पक्षो के तर्क का श्रवण किया गया एवं केस डायरी एवं पुलिस आख्या का परिशीलन किया गया।

5. प्रथम दृष्टया इस मामले में केश डायरी का अवलोकन करने पर दर्शित है कि अभियुक्त की भूमिका अन्य सहअभियुक्तगण ओमप्रकाश, अमन व पूजा तिवारी के साथ दिखायी गयी है। पूजा तिवारी अभियुक्त शैलेन्द्र तिवारी की पत्नी है। जिसके नाम पूर्णा फार्मा बनाया गया और जी०एस०टी०नम्बर० लिया गया और पूर्णा फार्मा का अकाउण्ट खुलवाया गया। जिसका संचालन अभियुक्त शैलेन्द्र तिवारी के द्वारा किया जाना दर्शित किया गया है। पर्चा नम्बर –23 में पूर्णा फार्मा कम्पनी में रजिस्टर मोबाइल नम्बर अभियुक्त शैलेन्द्र तिवारी के आधार कार्ड से लिया जाना दर्शाया गया है। इस मामले में अभियुक्त ओमप्रकाश के खाते में जो पैसे जमा कराये गये थे, वह पूर्णा फार्मा के द्वारा ट्रान्सफर किया गया है। पूर्णा फार्मा के अकाउण्ट स्टेटमेन्ट का अवलोकन करने यह दर्शित है कि उक्त पैसा गणेश फर्मा जो कि दिल्ली की फार्मा है, वह गुरुदेव मेडिकल एजेंसी, जिसके प्रोपराइटर अमन कसेरा है, उन्हें उक्त पैसे आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से स्थानांतरित किये गये हैं। इस मामले में पूर्णा फार्मा के द्वारा ओ०पी० फार्मा को ई–बिल दिया गया है। उक्त बिल फर्जी होना बताया गया है, क्योंकि उक्त बिल में जो वाहन दर्शाये गये हैं, उक्त वाहन के स्वामी ने इस तथ्य से इनकार किया है कि ओ०पी० शर्मा कम्पनी में वे वाहन लेकर गये थे। जिससे यह तथ्य प्रथम दृष्टया दर्शित है कि अभियुक्त के कागजों में कोडिनयुक्त सीरप की सप्लाई किया जाना दर्शाया गया है। इस

मामले में अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार के द्वारा अपनी फर्म पूर्णा फार्मा के माध्यम से दस लाख कोडिनयुक्त कफ सीरप की बड़ी मात्रा सप्लाई किया जाना बताया गया है। इस मामले में प्रथम दृष्टया अभियुक्त की भूमिका अपनी पत्नी के नाम उक्त पूर्णा फार्मा का गठन कर उसके माध्यम से कोडिनयुक्त कफ सीरप की सप्लाई कागजों पर किया जाना दर्शाया गया है, जिसके सम्बन्ध में पूर्णा फार्मा कम्पनी के अकाउण्ट में ओ०पी०फार्मा के खाते से पैसा जमा होना और उक्त पैसा अन्य फार्मा गनेश फार्मा, श्रीगुरुदेव मेडिक एजेन्सी और राधिका इन्टरप्राइजेज को ट्रान्सफर किया जाना बताया गया है। लगभग तीन करोड़ रुपये की धनराशि ओ०पी० फार्मा से अभियुक्त के पूर्णा फार्मा के खाते में आना दर्शाया गया है। अतः समस्त तथ्यों के आलोक में चूंकि उक्त मामला बड़ी मात्रा में कोडिनयुक्त कफ सीरप की सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में है, जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।

6. अतः इस मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तदानुसार प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश

7. प्रार्थी/अभियुक्त शैलेन्द्र तिवारी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–497 सन् 2025 अन्तर्गत धारा–206, 318(4), 336(3), 340(2), 338,61(2)बी०एन०एस० 8/21(सी), 27 क, 29(1) एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना– औराई, जिला भदोही के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(लोकेश कुमार मिश्र)
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो–प्रथम/
एन०डी०पी०एस०एक्ट, भदोही ज्ञानपुर।

दिनांक 23.03.2026

Digitally signed by Lokesh Kumar Mishra
Date: 2026.04.01 11:01:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court